No.7/22/2008-E-III(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E III (A) Branch

New Delhi, the 5th Sep.' 2008.

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT:- Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to Central Government Employees for the year 2007-08 – Extension of orders to Autonomous Bodies.

Orders have been issued vide this Ministry's Office Memorandum No. 7/24/2007 E-III (A) dated 5th September, 2008 authorizing 30 days emoluments as Non-PLB (ad-hoc bonus) for the accounting year 2007-08 to the Central Government employees not covered by the Productivity Linked Bonus Schemes. The undersigned is directed to say that it has now been decided that the Non-PLB (ad-hoc) bonus so admissible subject to the terms and conditions laid down in the aforesaid orders, may be extended to the employees of autonomous bodies, partly or fully funded by the Central Government which (i) follow the pattern of emoluments identical to that of the Central Government and (ii) do not have any bonus or ex-gratia or incentive scheme in operation.

2. In case of doubt as to the operation of these orders the clarificatory orders, circulated vide this Ministry's O.M. No.14(10)E-Coord/88'dated 4.10.88, as amended from time to time, may be kept in view, mutatis mutandis.

3. Any request for funding by the Government to meet the liability on account of Non-PLB (ad-hoc bonus) in respect of various organizations would not be considered by the Ministries concerned, having regard to the stipulation of aforesaid O.M. dated 5th September, 2008 that the expenditure on Non-PLB (ad-hoc bonus) should be met from within the existing budgetary provisions of the respective organizations. While the Autonomous Bodies not funded by the Central Government may also adopt these orders in respect of their employees, no liability for funding will in any case lie on the Central Government on this account.

(S.D. Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23095695

To

All Ministries and Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

संख्या- 7/22/संस्था-III(क)/2008
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था-III(क) शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 05 सितम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **वर्ष 2007-2008 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) देने संबंधी आदेशों को स्वायत्तशासी निकायों के लिए भी लागू करना।**

इस मंत्रालय के दिनांक 05 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/24/2007-संस्था-III(क) के द्वारा ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, लेखा वर्ष 2007-2008 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनका निधियन अंशत: अथवा पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान परिलब्धियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और (ii) जहां अन्य कोई बोनस या अनुग्रह राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है।

2. इन आदेशों के प्रचालन के संबंध में यदि कोई संदेह हो तो इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 04.10.1988 के का.ज्ञा.सं.14(10)/संस्था समन्वय/88 द्वारा परिचालित स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए।

3. विभिन्न संगठनों के संबंध में उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के कारण दायित्व की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निधियन हेतु किए गए किसी भी अनुरोध पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा विचार दिनांक 05 सितम्बर, 2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दी गई इस शर्त को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाएगा कि उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित संगठनों के मौजूदा बजटीय प्रावधानों से ही की जानी चाहिए। हालांकि, ऐसे स्वायत्तशासी निकायों को केन्द्र सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है, फिर भी वे अपने कर्मचारियों के संबंध में भी इन आदेशों को लागू कर सकते हैं तथा इसके लिए वित्त-पोषण का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा।

(एस.डी. शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
☎ 23095695

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

(चन्दन)